

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2976] No. 2976] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 21, 2017/आश्विन 29, 1939

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 2017/ASVINA 29, 1939

### अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3396(अ).—केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के तहत यथासंशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धाराओं 3(2), 4(1) तथा 4(4) के साथ पिठत धारा 3 की उप—धारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री मंजीत सिंह राय को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए उक्त आयोग के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[सं. 1-19 / 2015-एनसीएम (पार्ट)]

के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

# **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th October, 2017

**S.O.** 3396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Sections 3(2), 4(1) and 4(4) of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) as amended vide the National Commission for Minorities (Amendment) Act, 1995 (44 of 1995), the Central Government hereby nominates Shri Manjit Singh Rai, as Member of the said Commission for a period of three years from the date of assumption of office by him.

[No. 1-19/2015-NCM (Pt.)] K. C. SAMRIA, Jt. Secy.

6332 GI/2017